न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 50/2018 (राजसमन्द डिकी)

1. दीपाराम पुत्र देवाराम जी बलाई, निवासी भाटिया की बाडिया, कालादेह, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. रंजीत पुत्र देवाराम जी बलाई, निवासी भाटिया की बाडिया, कालादेह, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती बदामी पुत्री देवाराम जी बलाई, निवासी भाटिया की बाडिया, कालादेह, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती सीता पुत्री देवाराम जी बलाई, निवासी भाटिया की बाडिया, कालादेह, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र देवीसिंह जी रावत, निवासी सुनारकुडी (माल्याथड़ी), तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. रामसिंह पुत्र देवीसिंह जी रावत, निवासी सुनारकुडी (माल्याथड़ी), तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
4. उप पंजीयक, भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिकी उपखण्ड अधिकारी, भीम
दिनांक 04.06.2018, प्र. सं. 67/16

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री संजय बोहरा अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री बी.एल. डांगी अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2

———:::———

निर्णय दिनांक

20—05—2019

प्रकरण क संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात ग्राम सुनारकुडी में स्थित होकर वादीगण की मौरूसी भूमि है। उक्त भूमि सन् 1884 के पूर्व एवं उसके बाद उदा के नाम चली आ रही थी, जिसका कालान्तर में बंटवारा होकर जमीन खुमा पिता उदा के हिस्से में आयी एवं बाद में देवा पिता खुमा के हिस्से में आई, जिसके वारिसान वादीगण होकर काबिज हैं एवं सिजारे पर प्रतिवादीगण के पूर्वजों को दे रखी थी एवं गांव छोड़कर अन्यत्र रहने लगे। सेटलमेन्ट के दौरान भूमियां प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी, जबकि इस प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार सेटलमेन्ट विभाग को नहीं है। अतः उक्त भूमियों का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दिनांक 04—06—2018 को लोक अदालत में रखकर वादीगण की उपस्थिति में वाद डिक्री कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04—09—2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय अपीलान्टगण को बिना सुने पारित किया गया है, जिसका ज्ञान उन्हें सर्वप्रथम दिनांक 30—08—2018 को पटवारी हल्का से हुआ। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि राजस्व कैम्प में दिनांक 04—06—2018 को अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के उपस्थित होने की

काई साक्ष्य नहीं है, तद्नुसार न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट संख्या 3 व 4 की ओर से अपील के साथ दफा 96 जाब्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट संख्या 3 व 4 भूमि के रेकार्डेड खातेदार हैं, जबकि अधिनस्थ न्यायालय में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः आवेदन स्वीकार उन्हें अपील पेश करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलान्ट संख्या 3 व 4 रेकार्डेड खातेदार देवा की पुत्रियां हैं, जो इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। अतः दफा 96 जाब्ता दीवानी का आवेदन स्वीकार कर अपीलान्ट संख्या 3 व 4 को अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्रो बी. एल. डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अपीलान्ट शिड्यूल कास्ट के व्यक्ति हैं, जबकि रेस्पोन्डेन्ट सवर्ण जाति के। अतः शिड्यूल कास्ट के व्यक्ति सवर्ण जाति के नाम से खातेदारी हक से घोषित नहीं की जा सकती। अपीलान्ट को सम्मन तामिल कराये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है तथा कृषि भूमि के संबंध में एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। अतएवं अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार सही होना बताया तथा अपील अपीलान्ट

मयाद बाहर प्रस्तुत किये जाने एवं सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादोगणों की तलबी में चल रही थी तथा पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 09–05–2018 नियत थी, किन्तु उक्त दिनांक के स्थान पर पत्रावली दिनांक 04–06–2018 को लोक अदालत में रखी गयी एवं आदेशिका पर वादीगण के हस्ताक्षर करवाकर, अपीलान्ट/प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मं उन्हें बिना सुने वादीगण का वाद डिक्री कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04–06–2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निदेशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22–07–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी व अन्य बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....भीम..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह.....07..... 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत क लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।